एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर की अध्यक्षता में दि0 18.02.2019 को सम्पन्न वाणिज्य कर बकाया वसूली बैठक का कार्यवृत्त :–

वित्तीय वर्ष 2018–19 के माह जनवरी, 2019 में बकाया वसूली की प्रगति की समीक्षा हेतु समस्त डिप्टी कमिश्नर (कर वसूली) वाणिज्य कर, उ0प्र0 की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में प्रतिभाग करने वाले अधिकारियों की उपस्थिति विवरण पत्रावली पर रक्षित है

(कार्यवाही सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर)

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर के निर्देश :–

1. वसूली योग्य आच्छादित बकाया धनराशि की अधिकाधिक वसूली कराने,बकाया से सम्बन्धित ऑन लाईन प्रारुपों की सूचना समयबद्धतापूर्ण ढंग से अंकन कराने ,समंकों में एकरुपता रखने के साथ ही संयुक्त जॉच ,अपलेखन, उत्पीडन कार्यवाही यथा गिरफ्तारी ,नीलामी, कुर्की, बैक अटैचमेन्ट के मामलों में कार्यवाही कराते हुए वसूली में वृद्धि लाने के निर्देश उपस्थित सभी अधिकारियों को दिये ।

2. बकाया वसूली में अनवरत वृद्धि हेतु डिप्टी कमिश्नर (क0व0) अधिकारियों से अपने विभागीय जनपदों के **20 सबसे बडे बकायेदारों के मामले** व **20 न्यायिक स्तर पर लम्बित मामलों में** कृत कार्यवाही कराते हुए निहित धनराशि/स्थगन के प्रयास, वसूली की कार्यवाही व अन्य आवश्यक बिन्दुओं से सम्बन्धित विस्तृत कार्यवाही कराकर वसूली करायें । उसकी रिपोर्ट संग्रह अनुभाग मुख्यालय को प्रेषित करें ।

3. संग्रह इकाई वाराणसी द्वारा माह के अन्त में अवशेष **वसूली योग्य आच्छादित बकाया धनराशि रु 215909.45 लाख** के सम्बन्ध में गहन अनुश्रवण करते हुए मदवार स्थिति से एक सप्ताह में अवगत कराने के निर्देश दिये गये हैं ।

4 संग्रह इकाई नोएडा में 11 सूत्रीय से आच्छादित प्रमाण पत्रों में निहित धनराशि रु 114849.87 लाख के सम्बन्ध में अनुश्रवण कर 10 दिन के अन्दर वस्तुस्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिये गयें है।

1. **लक्ष्यपूर्ति (गत वर्ष के सापेक्ष)**– 20 विभागीय संग्रह इकाईयों द्वारा माह जनवरी, 2019 में वसूली प्रमाण पत्रों से **रू0 6326.49 लाख** की गयी जो गत वर्ष **रू0 11779.69 लाख** के सापेक्ष –46.296 प्रतिशत कम है, जबकि वसूली योग्य आच्छादित बकाया धनराशि पर्याप्त है। विभागीय जनपदों की संग्रह इकाइयों में गत वर्ष से वसूली की समीक्षा करने पर पाया गया कि गत वर्ष के इसी माह में वसूली की तुलना में क्रमशः बरेली –82.95, इटावा –82.55, अयोध्या –81.18, गोरखपुर –76.87, सहारनपुर –76.35 वाराणसी –75.35, गाजियाबाद –73.59, अलीगढ –70.39, बुलन्दशहर–61.00 , कानपुर –59.05 मुजफ्फरनगर –55.93, प्रतिशत से कम वसूली की गयी है। जिस पर **अप्रसन्नता** व्यक्त करते हुए अवशेष आगामी माहों में वसूली हेतु नियोजित नीति बनाकर अधिकाधिक वसूली करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर)

संयुक्त जांच – माह जनवरी 2019 की समीक्षा पर पाया गया कि माह में कानपुर के 2 मामले, बरेली के 12 मामले, में संयुक्त जांच की कार्यवाही की गयी है। माह के अन्त में अवशेष संग्रइ इकाईयों की स्थिति निम्नवत है :–

क्र0सं0	जनपद का नाम	संयुक्त जांच के मामलों की संख्या	निहित धनराशि लाख रू0 में
1	नोएडा	219	1647.98
2	गाजियाबाद	1075	27035.12
3	कानपुर	2202	25799.45
4	लखनऊ	211	560.94
5	आगरा	143	287.62
6	प्रयागराज	29	928.12
7	बरेली	605	2790.02
8	वाराणसी	32	311.16
9	मेरठ	3433	17519.99
10	मुरादाबाद	1499	8190.10
11	झांसी	113	860.30

12	गोरखपुर	264	1060.89
13	बुलन्दशहर	14	73.33
14	अलीगढ़	16	56.85
15	सहारनपुर	53	47.98
16	बिजनौर	479	501.32
17	इटावा	26	162.33

एडीशनल कमिश्नर (प्रशा0) महोदया द्वारा संयुक्त जांच हेतु दर्शित हो रहे लम्बित अवशेष मामलों में संग्रह इकाईयों द्वारा वित्तीय वर्ष 18–19 माह में,माह तक में कोई कार्यवाही न किये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा निर्देश दिये गये कि संयुक्त जांच हेतु ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर द्वारा स्थापित कमेटी के साथ समन्वय स्थाापित करके अवशेष माहों में मामलों का निस्तारण प्राथमिकता के साथ कराना सुनिश्चित करें, न करने की दशा में सुसंगत अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी **(कार्यवाही सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर)**

अपलेखन योग्य बकाया– माह जनवरी, 2019 में अपलेखन की समीक्षा करने पर पाया गया कि माह में कानपुर इकाई द्वारा अपलेखन के मामलों का निस्तारण किया गया है। नोएडा, लखनऊ, अयोध्या, सोनभद्र, वाराणसी, गोरखपुर, बुलन्दशहर, अलीगढ़, सहारनपुर, इटावा द्वारा शून्य मामले दिखाये जा रहे हैं। माह के अन्त में अवशेष मामलों की सूचना निम्नवत है :–

क्र0सं0	जनपद का नाम	अपलेखन योग्य बकाया मामलों की संख्या	निहित धनराशि लाख रू0 में
1	गाजियाबाद	29	3315.70
2	कानपुर	5856	14269.80
3	आगरा	279	3820.76
4	प्रयागराज	03	1013.60
5	बरेली	170	550.27
6	मेरठ	392	1857.37
7	मुरादाबाद	125	331.79
8	बिजनौर	1764	894.32
9	झांसी	755	6006.90
10	मु0नगर	24	269.48

वित्तीय वर्ष 18–19 माह में,माह तक आगरा,प्रयागराज,मुरादाबाद,झासी, मुजफ्फरनगर, बिजनौर द्वारा कोई मामला निस्तारित न किये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा निर्देश दिये गये कि अवशेष माह में अपलेखन की कार्यवाही करायें ,कृत कार्यवाही से दिनांक 01.03.2019 तक मुख्यालय को भी अवगत कराये ।

ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर बरेली (ए) के अधीनस्थ खण्ड–1 की फर्म सर्वश्री राधा एजेन्सी बटलर प्लाजा बरेली के वर्ष 1996–97 में बकाया रु 34791126.00 के अपलेखन करने हेतु 11 सूत्रीय,22 सूत्रीय रिपोर्ट व कर निर्धारण व गोपनीय पत्रावली सहित मुख्यालय प्रेषित की गयी जिसमें पायी गयी कमियों के सम्बन्ध स्थिति स्पष्ट करने हेतु मुख्यालय के पत्र स0 वि0व0 संग्रह– 1237 दि0 11.02.19 के द्वारा डिप्टी कमिश्नर खण्ड – 1 बरेली, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) बरेली –ए, को मुख्यालय में बुलाया गया जिसमें डिप्टी कमिश्नर खण्ड–1 उपस्थित हुए ,जबकि ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) –ए, अनुपस्थित रहें ।

उक्त प्रकरण पर समीक्षा बैठक में चर्चा के बाद पाया गया कि सम्भाग स्तर,खण्ड स्तर पर किसी अधिकारी द्वारा पत्रावली का न तो गहन अनुश्रवण किया गया न ही सुसंगत तथ्यों व्यवस्थाओं का अनुशीलन किया गया जिसके कारण व्यापक खामियॉ दृष्टिगत हुई जो कर्तव्यस्थता के दौरान राजकीय कार्यो/ दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही का द्योतक है उक्त प्ररिपेक्ष्य में सख्त निर्देश दिये गये कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो ।

पुनः पत्रावली में अंकित तथ्यों एवं समंको का खण्डाधिकारी, ज्वाइन्ट कमिश्नर स्तर पर गहन अनुश्रवण कर यथोचित प्रस्ताव प्रेषण करें ताकि अग्रिम कार्यवाही हेतु शासन स्तर पर प्रेषित किया जा सके और सभी अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि अपलेखन के सम्बन्ध में समस्त औपचारिकतायें पूरी करने के बाद ही सुसंगत प्रस्ताव मुख्यालय प्रेषित किया जाये । केवल दिखावटी कार्य न किया जाये ।

(कार्यवाही सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर/ डिप्टी कमि0 (कर वसूली) वा0कर)

1. बकाया से सम्बन्धित जारी नये प्रारूपों यथा प्रारूप–1, प्रारूप–2 तथा प्रारूप–3 का खण्डवार अंकन शुद्धतापूर्ण ढंग से कराया जाय। जिसकी मानीटरिंग जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर द्वारा अनवरत की जाय जिससे त्रुटि की सम्भावना नगण्य रहें।

2. आर–3, आर–27 अमीनवार डिमाण्ड रजिस्टर व आर–6 रजिस्टरों का अनवरत अनुश्रवण किये जाने के निर्देश दिये गये, ताकि ऑकड़ों में समरूपता बनी रहे।

3. डिप्टी कमिश्नर (कर वसूली) खण्ड कार्यालयों में डिमाण्ड रजिस्टर, साइटेशन, कुर्की व नीलामी इत्यादि कार्यवाहियों के सम्बन्ध में अमीनों/पर्यवेक्षकों की साप्ताहिक रूप से निरीक्षण /अनुश्रवण करें व तद्नुसार कार्यवाही सम्पादित कराने के निर्देश दिये गये।

4. 11 सूत्रीय व 22 सूत्रीय में अपलेखन हेतु लम्बित मामले में निहित धनराशि जब तक अपलेखित न हो जाय, तब बकाया मानकर वसूली की कार्यवाही की जाय।

5. बकाया वसूली हेतु अन्य प्रदेशों को प्रेषित वसूली प्रमाण पत्रों में वसूली की समीक्षा हेतु नामित जोनल एडीशनल कमिश्नर से वसूली की अद्यतन स्थिति व अन्य प्रान्तों को प्रेषित वसूली प्रमाण पत्रों की प्रान्तवार सूची मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाय।

6 जिस बकाया धनराशि की अभी तक फीडिग ब्यास सेन्ट्रल साफ्टवेयर पर नही हुयी है । उसकी फीडिग दिनांक 30.04.2019 तक सर्वोच्च प्राथमिकता पर पूर्ण कर ली जाये और यदि किसी प्रकार की समस्या हो तो ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को प्रेषित की जाये तथा प्रतिलिपि के माध्यम से संग्रह अनुभाग को भी अवगत कराये ।

7 जिन मामलों में व्यापारी पंजीयन के समय दाखिल किये गये प्रपत्रों में अथवा संयुक्त जॉच में पकड में नही आ रहा है अर्थात लगातार फरार चल रहा हैं, उन मामलों में बाकीदार / अपवंचक व्यापारी का पूरा नाम / पता / अन्य विवरण के साथ मीडिया में / जन सामान्य में पम्पलेट के माध्यम से प्रकाशित कराया जाये तथा बडी धनराशि के मामलों में एफ0आई0आर0 कराये जाने पर भी विचार किया जाये तथा विशेष अनुसंधान शाखा इकाईयों से जॉच करायी जाये ।

8 प्रदेश के अन्दर अन्य जिलों को प्रेषित किये गये मामलों में रेन्डम आधार पर मुख्यालय स्तर से समीक्षा की गयी जिसमें पाया गया कि दिखावटी लिखा पढी की जा रही है । सार्थक प्रयास नही किया जा रहा है । इसी का परिणाम है कि 6002 मामले कई वर्षो से लम्बित चल रहे हैं इसमें सार्थक प्रयास किया जाये ।

संग्रह इकाईयों द्वारा संगत माह जनवरी, 2019 में उत्पीड़न की कार्यवाही के अन्तर्गत 2284 बैंक अटैचमेन्ट, 40 गिरफ्तारी, 02 नीलामी व 35 कुर्की करके कुल रू0 1593.42 लाख की धनराशि वसूल की गयी है। इसी प्रकार प्रगति आगे रखने के निर्देश दिये जाते हैं।

उपर्युक्त निर्देशों के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही/अनुपालन आख्या 15 दिन में मुख्यालय प्रेषित करें।

01-3-19

(गुलाब चन्द्र)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (संग्रह) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।

पृ0प0 संख्या 1294 **व दिनांक** 01-3-2019 **: उक्त।**

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (प्रथम) वाणिज्य कर, मुख्यालय को, कमिश्नर महोदया के अवलोकनार्थ।
2. समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
3. समस्त ..ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, उ0प्र0।
4. समस्त डिप्टी कमिश्नर (क0नि0/कर वसूली) वाणिज्य कर, उ0प्र0।

ज्वाइन्ट कमिश्नर (संग्रह) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।